'मूलभूत सुविधाओं के लिए हाईकोर्ट से अपील करें'

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट जज दिनेश गुप्ता को सलाह दी, जिन्होंने मूलभूत सुविधाओं के अभाव पर सुप्रीम कोर्ट में शिकायत की थी।

-विधि संवाददाता-

जयपुर, 25 सितंबर। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राजस्थान के जिला जज दिनेश गुप्ता की याचिका पर सुनवाई की। गुप्ता इस समय लेबर कोर्ट-कम-इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं और चार दिन बाद सेवानिवृत्त होने वाले हैं। उन्होंने अपनी अदालत में बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर शिकायत की थी।

सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की।

■ जस्टिस गुप्ता लेबर कोर्ट-इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं और चार दिन में रिटायर होने वाले हैं। उन्होंने याचिका में शिकायत की थी कि उनके पास ऑफिस और स्टेनोग्राफर तक नहीं है।

गुप्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने कहा कि गुप्ता राज्य के सबसे वरिष्ठ जिला जज हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें स्टेनोग्राफर और ऑफिस जैसी बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। सिंह ने अदालत को बताया, वह अभी भी रात के 2 बजे तक फैसले लिख रहे हैं। उन्होंने बताया कि न्यायिक अधिकारी को अपने काम को पूरा करने में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सीजेआई ने कहा कि राज्य में हाल ही में नए मुख्य न्यायाधीश ने कार्यभार संभाला है। उन्होंने गुप्ता को सलाह दी कि वे अपनी शिकायतों को लेकर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने एक लिखित आवेदन दें।

सिंह ने अदालत से अनुरोध किया कि इस बात को उसके आदेश में दर्ज किया जाए। इसके बाद उन्होंने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी। साथ ही उन्होंने यह स्वतंत्रता देने का अनुरोध किया कि वे अपनी सभी शिकायतों को लेकर संबंधित अथॉरिटी के पास जा सकें और उनके जल्द समाधान की मांग कर सकें।

150 पार्षदों के साथ मिलकर करेंगे जयपुर का विकास : महापौर सुनील कोठारी

जयपुर के नवनिर्वाचित महापौर सुनील कोठारी ने शुक्रवार शाम को नगर निगम मुख्यालय में पदभार ग्रहण किया। इस दौरान उनके परिवारजन और भाजपा नेता मौजूद थे।

■ पदभार संभालते ही बोले कोठारी "मजबूत विपक्ष से शहर को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी"

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । नगर निगम जयपुर के महापौर चुनाव में 150 में से 89 वोट हासिल करके भाजपा उम्मीदवार सुनील जयपुर के नए मेयर बन गए हैं। शुक्रवार शाम को उन्होंने पदभार संभाला। इस दौरान बीजेपी विधायक कालीचरण सर्राफ, गोपाल शर्मा, कैलाश वर्मा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, अशोक परनामी, सांसद मंजू शर्मा, पूर्व मेयर सौम्या गुर्जर समेत सैकड़ों कार्यकर्ता पदभार ग्रहण समारोह में मौजूद रहे।

महापौर की जिम्मेदारी संभालने के बाद सुनील कोठारी ने मीडिया से कहा कि सभी 150 पार्षदों के साथ मिलकर जयपुर का विकास करना उनकी प्राथमिकता रहेगी।

उन्होंने कहा कि मजबूत विपक्ष से शहर को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन सभी जयपुर का विकास चाहते है। इतिहास और परंपरा को आगे साथ लेकर जाएंगे। ऐसा शहर बनाएंगे, जो सपनों को उडान दे सके। जयपुर परकोटा एतिहासिक धरोहर बना रहे, इसको लेकर भी काम करेंगे। स्वच्छता पहली प्राथमिकता रहेगी। ज्ञात रहे कि सुनील कोठारी वार्ड 112 से पार्षद का चुनाव जीते थे। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी को करीब 900 वोटों के अंतर से हराया था। इससे पहले वे भाजपा जयपुर शहर अध्यक्ष, प्रदेश सचिव और प्रदेश उपाध्यक्ष जैसी जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं।

एक साल से फरार बदमाश गिरफ्तार

जयपुर। जयपुर पुलिस के तीन दिवसीय विशेष अभियान के तहत खोह नागोरियान थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मारपीट और जबरन रुपए ट्रांसफर कराने के मामले में एक साल से फरार चल रहे दो हजार रुपए के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर स्मैक का सेवन करते एक युवक को भी पकड़ा और दो स्थाई वारंटों का निस्तारण किया।एडीसीपी पूर्व पारस जैन ने बताया कि पुलिस ने प्रकरण में वांछित अंकित मीणा (20) निवासी रामनगरिया जयपुर को बापर्दा गिरफ्तार किया। आरोपी पर दो हजार रुपए का इनाम घोषित था। इसी अभियान के तहत पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर स्मैक का सेवन करते कुश चतुर्वेदी (32) निवासी जामडोली, जयपुर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके कब्जे से स्मैक सेवन के उपकरण जब्त किया। इसके अलावा क्षेत्र में वांछित अपराधियों और स्थाई वारंटियों की धरपकड के दौरान दो स्थाई वारंटों का भी निस्तारण किया गया। कार्रवाई में थानाधिकारी सुनील गोदारा, एएसआई वीरेंद्र चौधरी, एएसआई जयपाल, एसआई मुकेश कुमार, एसआई रेखा चौधरी सहित पुलिसकर्मियों की भूमिका रही।

शॉर्टकट नहीं, मेहनत चुनें, राष्ट्र प्रथम की भावना रखें सर्वोपरि : नितिन नवीन

राज्यसभा सांसद एवं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया युवाओं से संवाद

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद नितिन नवीन ने युवाओं से कहा कि देश के प्रति अपने दायित्वों को पूरा करते हुए जीवन को सार्थक बनाना ही वास्तविक सफलता है। भले ही अच्छा इंजीनियर, डॉक्टर या व्यवसायी बनना महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण अच्छा इंसान और अच्छा नागरिक बनना है। उन्होंने युवाओं से हमेशा बड़ा विजन रखने और ऊंचा सोचने की अपील करते हुए कहा कि जिस भी काम को हाथ में लें, उसे पूरे समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ करें, तो सफलता मिलना निश्चित है।

सेवा संकल्प अभियान के तहत जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के युवाओं में स्वयं की क्षमताओं पर भरोसा कर देश को आगे बढ़ाने का विश्वास जगाया है। विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए देश के 140 करोड़ नागरिकों को एक साथ आगे बढ़ना होगा।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद नितिन नवीन और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को जयपुर के बिड़ला सभागार में युवाओं से संवाद किया।

उन्होंने कहा कि जीवन में कभी शॉर्टकट को रास्ता नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जीवन 100 मीटर की रेस नहीं, बल्कि लंबी दौड़ है। इसलिए जीवन में असफलता से घबराने के बजाय राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ अपने लक्ष्य की ओर निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने युवाओं से समाज के प्रति संवेदनशील रहते हुए राष्ट्र सेवा करने का आव्हान किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत-2047 के निर्माण के लिए सबसे बड़ी ताकत देश का युवा है। युवा शक्ति परफॉर्म, रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के माध्यम से भविष्य बनाए। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार युवाओं को शिक्षा, कौशल, रोजगार, उद्यिमता, खेल और नेतृत्व के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए लगातार नए अवसर उपलब्ध करवा रही है।

■ युवाओं के सपनों की उडान में सरकार हर कदम पर साथ : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में भी युवाओं के लिए राजस्थान युवा नीति तथा राज्य कौशल नीति जैसी कई पहल लागू की गई हैं। पिछले ढाई वर्ष में बिना पेपरलीक के अब तक 1 लाख 90 हजार से अधिक पदों पर नियुक्तियां प्रदान की गई हैं। वहीं, 1 लाख 22 हजार पदों पर भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवाओं के सपनों की उडान में हर कदम पर साथ खडी है। इस दौरान राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ सहित विभिन्न क्षेत्रों की युवा प्रतिभाएं और बड़ी संख्या में युवा उपस्थित रहे। प्रदेशभर से युवा भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े।

खोया पाया

श्रीमान जी मेरे भूखण्ड संख्या 14/ID/27 योजना रिंग रोड परियोजना के मूल आवंटन पत्र एवं कब्जा पत्र कहीं गुम हो गये है मिलने पर सूचित करें नाम-प्रकाश शर्मा मोबाईल नं.9414593222

भूखण्ड संख्या A-56 एवं A-205B योजना मंगलम पार्क व्यू ग्राम सारंगपुरा व भम्भोरिया, सांगानेर, जयपुर के रजिस्टर्ड मूल पट्टे विलेख, साईट प्लान, मय स्टाम्प गुम हो गये है। मिलने पर सम्पर्क करें। बनवारी लाल शर्मा मो.नं. 9928113214

नाम संशोधन सूचना

मै अनिल कुमार भारद्वाज पुत्र श्री मक्खन लाल भारद्वाज निवासी प्लाट न. 21, गणेश विहार, लक्ष्मी भट्ठे के सामने आगरा रोड, जामडोली, राजस्थान उक्त पते पर मेरे साथ मेरी पत्नी संगीता शर्मा एवं मेरी पुत्री मृणाल शर्मा रहती है। मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण पत्र में पिता का नाम भास्कर शर्मा है जिसको बदलवाकर अनिल कुमार भारद्वाज करवाना है, जिसकी गज़ट प्रकाशन संबधित कार्यवाही की जा चुकी है, भविष्य में मेरी पुत्री के शैक्षणीक एव् अन्य दस्तावेजो में पिता का नाम अनिल कुमार भारद्वाज पढ़ा व माना जाए।

(18) लिबर्टी पशुधन सहायक प्रशिक्षण संस्थान
राजस्थान वेटेनरी यूनिवर्सिटी, बीकानेर से मान्यता प्राप्त
2 वर्षीय 6 माह पशु पालन डिप्लोमा
12th कृषि अथवा जीव विज्ञान
एडमिशन मैनेजमेंट सीट
229(A), राजेन्द्र प्रसाद नगर, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर

कार्यालय उप आवासन आयुक्त वृत्त-प्रथम
राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-प्रथम, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांक :-3791 दिनांक :- 19/09/201
जाहिर आम-सूचना राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना में आवास/ फ्लैट संख्या 185/206 (LIG) का आवंटन श्री सुखदेव सिंह दैया पुत्र श्री हजूर सिंह दैया को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 3081 दिनांक 12.10.2000 को जारी किया गया था। उनके पक्ष में पंजीयन पत्रों निष्पादन दिनांक 15.07.2026 को उप पंजीयक सांगानेर-द्वितीय जयपुर के यहां पंजीकृत करवाया गया।
श्री सुखदेव सिंह दैया द्वारा उक्त आवास को श्रीमती कंचन दैया पत्नी श्री दीपेन्द्र नैनावत पुत्री श्री सुखदेव सिंह दैया को उपहार कर इनके पक्ष में उपहार पत्र दिनांक 17.07.2026 को उप पंजीयक सांगानेर-द्वितीय जयपुर में पंजीकृत करवाया गया। श्रीमती कंचन दैया पत्नी श्री दीपेन्द्र नैनावत पुत्री श्री सुखदेव सिंह दैया द्वारा आवासन मण्डल में पंजीकृत उपहार पत्र के आधार पर अपना नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कराने बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।
अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति / पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, श्रीमती कंचन दैया पत्नी श्री दीपेन्द्र नैनावत पुत्री श्री सुखदेव सिंह दैया का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा।
सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त-प्रथम, राज. आवा. मण्डल, जयपुर

नम्बर मिलाइए 8890333139

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

डिजिटल साक्ष्य की कॉपी आरोपी को देना जरूरी : हाईकोर्ट

जयपुर (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि आपराधिक मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सीसीटीवी फुटेज जैसी इलेक्ट्रॉनिक सामग्री को सबूत के तौर पर उपयोग किया जा रहा है और इसे आरोप पत्र के साथ अदालत में पेश किया गया है तो उसकी कॉपी आरोपी को देना जरूरी है।

जस्टिस अनूप कुमार की एकलपीठ ने यह आदेश अमर सिंह की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने करौली जिले की निचली अदालत के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सीसीटीवी रिकॉर्डिंग वाली डीवीडी और पेन ड्राइव की कॉपी देने से इनकार कर दिया था। अदालत ने अपने आदेश में दोहराया है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आरोपी को निष्पक्ष सुनवाई का मौलिक अधिकार प्राप्त है। जब तक अभियोजन के इलेक्ट्रॉनिक सबूत आरोपी को नहीं मिलेंगे, वह अपना बचाव प्रभावी तरीके से नहीं कर पाएगा।

याचिका में अधिवक्ता राहुल शर्मा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में आरोप पत्र पेश किया था। पुलिस ने चार्जशीट के साथ घटना की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग वाली डीवीडी और पेन ड्राइव भी कोर्ट में जमा की थी। अदालत की ओर से आरोपी को चार्जशीट की कॉपी दी गई, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड उसे उपलब्ध नहीं कराए गए। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग नहीं मिलने पर आरोपी ने ट्रायल कोर्ट में प्रार्थना पत्र दायर कर इसकी मांग की थी। जिसे ट्रायल कोर्ट ने यह कहते हुए आवेदन खारिज कर दिया कि चार्जशीट की कॉपी लेते समय आरोपी ने सीसीटीवी रिकॉर्डिंग की मांग नहीं की थी। इस पर याचिकाकर्ता की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।

8.14 लाख रुपए की संदिग्ध राशि के साथ लोहावट बीडीओ को पकड़ा

जयपुर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की स्पेशल यूनिट बीकानेर ने शुक्रवार को कार्रवाई करते हुए लोहावट जिला फलोदी के विकास अधिकारी नारायण सुथार को उनके निजी वाहन से 8 लाख 14 हजार रुपए की संदिग्ध राशि सहित डिटेन किया। एसीबी महानिदेशक गोविन्द गुप्ता के निर्देश पर हुई कार्रवाई में एसीबी चौकी स्पेशल यूनिट बीकानेर को सूचना मिली थी कि लोहावट बीडीओ संदिग्ध राशि लेकर लोहावट से बीकानेर की ओर आ रहे हैं।

सूचना के आधार पर एसीबी बीकानेर के उप महानिरीक्षक नारायण टोगस के सुपरविजन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशीष कुमार मय टीम ने नोखा रोड स्थित भीनासर चेक पॉइंट पर संदिग्ध हुंडई वेन्यू कार नंबर आरजे 07 सीडी 0047 को रुकवाया।वाहन की तलाशी के दौरान 8 लाख 14 हजार रुपए बरामद हुए। राशि के संबंध में विकास अधिकारी से पूछताछ की जा रही है।

'एकात्म मानव दर्शन केवल भारत नहीं, समस्त मानवता के लिए मार्गदर्शक'

जयपुर (कासं)। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भारत को भारत बनाने की जीवन दृष्टि दी और इसे केवल भारत के लिए नहीं, बल्कि विश्व के लिए मार्गदर्शन एवं मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानवदर्शन केवल भारतीय जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं अथवा भारत के लोगों के लिए नहीं, बल्कि समस्त मानवता के लिए है। होसबाले शुक्रवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 110वीं जयंती के अवसर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति समारोह समिति की ओर से जयपुर के धानक्या में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि मुझे धानक्या की पवित्र भूमि पर आने का अवसर मिला और यहां स्थित दीनदयाल उपाध्याय के प्रेरणादायी स्मारक के दर्शन कर उनके जीवन से प्रेरणा लेने का अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि यह स्मारक आने वाले लोगों को राष्ट्र और समाज के लिए कार्य करने की प्रेरणा देने वाला है।

उन्होंने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय एक विलक्षण व्यक्तित्व और प्रेरणादायी पुरुष थे। उनके स्मरण में समारोह समिति कई वर्षों से सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्र की दृष्टि से महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का आयोजन करती आ रही है। उन्होंने समिति के कार्यों के लिए पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के प्रति साधुवाद व्यक्त किया। एकात्म मानवदर्शन की चर्चा करते हुए होसबाले ने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय ने भारतीय संस्कृति और भारत के जीवन दर्शन के विभिन्न विषयों को सार रूप में लेकर आधुनिक युग में जीवन जीने के लिए आधारभूमि तैयार की और इसे एकात्म मानवदर्शन के रूप में प्रस्तुत किया। होसबाले ने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था कि भारत को अमेरिका, इंग्लैंड या जापान नहीं बनाना है, बल्कि भारत को भारत बनाना चाहिए। भारत के व्यक्तित्व, संस्कृति और जीवन मूल्यों के आधार पर खड़ा किया गया जीवन दर्शन केवल भारत के लिए नहीं, बल्कि विश्व के लिए मार्गदर्शन और मॉडल बन सकता है।

प्रपत्र संख्या 7 (देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 217/2026
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि प्रार्थी श्री रणजीत जाट पुत्र श्री प्रभाती लाल एंव कैलाश चंदमान पुत्र श्री भगवानसहाय मान निवासी जयसिंहपुरा तहसील कोटपूतली जिला कोटपूतली-बहरोड ने राजस्थान ने सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत मंदिर श्री श्याम कलां मण्डल जयसिंहपुरा तहसील कोटपूतली जिला-कोटपूतली-बहरोड राजस्थान के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 23.09.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 27.11.2026
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग जयपुर

प्रपत्र संख्या 7 (देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 228/2026
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि प्रार्थी श्री देवेन्द्र कुमार पुत्र श्री लालाराम यादव निवासी भीटेडा, पोस्ट रिवाली तहसील बहरोड जिला कोटपूतली-बहरोड राजस्थान ने सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत श्री बाबा खेतानाथ धर्मार्थ ट्रस्ट ग्राम-भीटेडा तहसील बहरोड जिला कोटपूतली-बहरोड के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 23.09.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 27.11.2026
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग जयपुर

हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना
(साधारण प्रारूप)
व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली अनूसूची संख्यांक 4
न्यायालय सदस्य अपीलीय अधिकरण स्थान जविप्रा जयपुर
श्रीमती रिशा खैराडी विरूद्ध जविप्रा व अन्य
वाद/प्रार्थना-अपील
प्रार्थना-पत्र संख्या 35/25 सन्
नाम तारा चन्द पुत्र श्री नामालुम जाति.... R/o-67, पता केशव पथ राजेन्द्र नगर सिरसी रोड जयपुर
उक्त प्रार्थी ने इस न्यायालय में यह आवेदन किया है कि नकल संलग्न है।
अतः आपको चेतावनी दी जाती है कि आप आवेदन के विरुद्ध हैतुक दर्शित करने के लिए दि. 06 माह 10 सन् 2026 को 10 पूर्वान्ह में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक रूप से अनुदेश किया गया हो उपसंजात हो। यदि आप ऐसा करने मे असफल रहेगें तो उक्तआदेश की सुनवाई और उसका निपटारा एक पक्षीय रूप से किया जाएगा
यह आज ता. 16 माह 09 सन् 2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।
मुन्सरिम
अपीलीय अधिकरण
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू स्थान जिला जयपुर
प्रभूलाल विरूद्ध संजय माथुर
वाद बाबत-....
वाद संख्या-6705 सन् 2026
बनाम राधेश्याम पुत्र रामनिवास जाति बैरवा स्थान ग्राम लखेसरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर
...ने आपके विरूद्ध.... के लिये वाद पंजीयत किया है आपको इस न्यायालय में तारीख 28 माह 09 सन् 2026 को दिन में 10.00 बजे दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये वचन किया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों के उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्तिहो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन दाखिल करें और उस दिन ऐसी सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में हैं पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हैं। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो या न हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन मेंसाक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसे दस्तावेजों को लिखित कथन के साथ उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें।
आपको सूचित किया जाता है कि ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नही होगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।
यह आज ता. 23 माह 09 सन् 2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।
रीडर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट चाकसू
मोहर अदालत

हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना
(साधारण प्रारूप)
व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली अनूसूची संख्यांक 4
न्यायालय सदस्य अपीलीय अधिकरण स्थान जविप्रा जयपुर
श्रीमती रिशा खैराडी विरूद्ध जविप्रा व अन्य
वाद/प्रार्थना-अपील
प्रार्थना-पत्र संख्या 35/25 सन्
नाम बसंत असवाल पुत्र श्री नामालुम जाति.... R/o-67, पता केशव पथ राजेन्द्र नगर सिरसी रोड जयपुर
उक्त प्रार्थी ने इस न्यायालय में यह आवेदन किया है कि नकल संलग्न है।
अतः आपको चेतावनी दी जाती है कि आप आवेदन के विरुद्ध हैतुक दर्शित करने के लिए दि. 06 माह 10 सन् 2026 को 10 पूर्वान्ह में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक रूप से अनुदेश किया गया हो उपसंजात हो। यदि आप ऐसा करने मे असफल रहेगें तो उक्तआदेश की सुनवाई और उसका निपटारा एक पक्षीय रूप से किया जाएगा
यह आज ता. 16 माह 09 सन् 2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।
मुन्सरिम
अपीलीय अधिकरण
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

ईसरदा का पानी बदलेगा दौसा-सवाई माधोपुर की पेयजल तस्वीर

1256 गांव और 6 कस्बे जुड़ेंगे, 35 लाख आबादी को मिलेगा शुद्ध पानी

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। ईसरदा बांध के पानी को उपचारित कर दौसा और सवाई माधोपुर के गांवों-कस्बों तक पहुंचाने वाली 3588 करोड़ रुपए की ईसरदा-दौसा पेयजल परियोजना ने रफ्तार पकड़ ली है। परियोजना से 1256 गांवों और 6 कस्बों को जोड़ने तथा 3 लाख 6 हजार 198 से अधिक जल कनेक्शन देने का लक्ष्य है। इससे करीब 35 लाख आबादी को स्वच्छ पेयजल मिलेगा।

225 एमएलडी का फिल्टर प्लांट तैयार

परियोजना के लिए 225 एमएलडी क्षमता का फिल्टर प्लांट तैयार हो चुका है और टेस्टिंग-कमिशनिंग जारी है। ईसरदा बांध के इंटेक वेल से प्लांट तक पानी पहुंच चुका है। प्रथम पैकेज में ईसरदा से महुआ तक प्रस्तावित 341 किमी ट्रांसमिशन लाइन में 299 किमी. बिछाई जा चुकी है। ईसरदा और बगड़ी में स्वच्छ जलाशयों व फिल्टर प्लांट का निर्माण पूरा हो चुका है। प्रथम पैकेज पर 1,005.60 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं।

क्लस्टरों में तेजी से काम

लालसोट क्लस्टर में 302 गांव व लालसोट शहर, दौसा क्लस्टर में 248 गांव व दौसा शहर, बसवा क्लस्टर में 368 गांव व बांदीकुई तथा महुआ क्लस्टर में पेयजल नेटवर्क विकसित किया जा रहा है। बसवा में प्रस्तावित 2077 किमी पाइपलाइन में 1801 किमी तथा महुआ में 315 किमी में 244 किमी पाइपलाइन बिछ चुकी है।

सवाई माधोपुर के 177 गांव भी जुड़ेंगे

षष्ठम पैकेज में बौली के 99, मलारना डूंगर के 61 और चौथ का बरवाड़ा के 17 गांवों सहित 177 गांवों को लाभ मिलेगा। इसके लिए 260.62 करोड़ रुपए का कार्यादेश 6 सितंबर 2025 को जारी किया गया। परियोजना के शेष कार्यों को गति दी जा रही है। नवंबर तक शहरी क्षेत्रों में मुख्य पाइपलाइन से जलापूर्ति शुरू करने का प्रस्तावित लक्ष्य है। ग्रामीण क्षेत्रों में संरचनाएं पूरी होने के साथ चरणबद्ध तरीके से कनेक्शन जोड़कर जलापूर्ति शुरू की जाएगी।

कार्यालय नगर निगम, भरतपुर
क्रमांक :-न.नि.भ./स्टोर/2026-271864
दिनांक :- 25.09.2026
बोली आमंत्रण सूचना
नगर निगम भरतपुर के कार्यालयों में फर्नीचर सप्लाई एवं यूपीवीसी विन्डो लगवाने के कार्य हेतु उक्त कार्य करने वाली फर्मों/ संवेदको से निविदा दिनांक 29.09.26 को आमंत्रित की जाती है। निविदा दिनांक 29.09.26 समय 02:00 पी.एम. तक विक्रय की जाकर उसी दिवस को 4:00 पी.एम. तक प्राप्त की जाकर उसी दिवस 05:00 पी.एम. पर खोली जावेगी। बोली के अन्य संबधित विवरण राज्य के खरीद पोर्टल (http://sppp.raj.nic.in) पर देखे जा सकते हैं।
(यूबीएन नं.) DLB2627SSOB20502
आयुक्त नगर निगम, भरतपुर